प्रेस नोट-थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक- 04.06.2026

थाना सदर बाजार पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में महिला से लूट की घटना का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो शातिर अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, लूट की धनराशि, अवैध शस्त्र, मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में जनपदीय एस0ओ0जी0, सर्विलांस सेल एवं थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा महिला से लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.05.2026 को थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत एक महिला के साथ लूट की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 227/2026, धारा 304(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार सुरागरसी, सर्विलांस तथा संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही थी। दिनांक 03.06.2026 को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्तगण मोटरसाइकिल से मछली मार्केट कैण्ट क्षेत्र से पुवायाँ मार्ग की ओर जा रहे हैं तथा किसी अन्य आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना में यह भी बताया गया कि अभियुक्तों के पास उक्त लूट की घटना से संबंधित माल एवं अवैध शस्त्र मौजूद हैं। सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल क्षेत्र में घेराबंदी एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों को विभिन्न स्थानों पर लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी से बचने एवं पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा संयम एवं साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार द्वारा अपनी सरकारी 9 एमएम ग्लॉक पिस्टल से कुल 03 राउंड फायर किए गए। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में दोनों अभियुक्त घायल होकर मौके पर ही पकड़े गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान **अकरम अली पुत्र जाफर अली, उम्र करीब 22 वर्ष तथा रफीक पुत्र नत्थूद्दीन, उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण कोपा ठंडा नाला गूलरभोज, थाना गदरपुर, जनपद उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड** के रूप में हुई। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त अकरम अली के बाएं पैर तथा अभियुक्त रफीक के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके उपरांत दोनों घायल अभियुक्तों को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में उपचार एवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल शाहजहाँपुर भेजा गया। अभियुक्तों के कब्जे से दो अदद तमंचा 315 बोर,

दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी), लूट की घटना से संबंधित नकद ₹21,000/- तथा घटना में प्रयुक्त बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसका इंजन नंबर PFXPSE07017 एवं चैसिस नंबर MD2A76AX9SPE27313 है। बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। उक्त घटना के संबंध में पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने के कारण थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 260/2026, धारा 109(1) बी0एन0एस0 (पुलिस मुठभेड़) एवं धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। साथ ही बरामदगी एवं विवेचना से प्राप्त तथ्यों के आधार पर पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 227/2026 धारा 304(2) बी0एन0एस0 में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तारी, बरामदगी एवं विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1. अकरम अली पुत्र जाफर अली निवासी कोपा, ठंडा नाला, गूलरभोज, थाना गदरपुर, जनपद उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. रफीक पुत्र नत्थूदीन निवासी ठंडा नाला, गूलरभोज, थाना गदरपुर, जनपद उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, उम्र करीब 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 227/2026, धारा 304(2) बी0एन0एस0 थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर (विवेचना एवं बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी)।
2. मु0अ0सं0 260/2026, धारा 109(1) बी0एन0एस0 (पुलिस मुठभेड़) एवं धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय:-

चांदमारी बट कैण्ट क्षेत्र जंगल से दिनांक 03.06.2026 को समय 20.30 बजे

आपराधिक इतिहास:-

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अकरम अली पुत्र जाफर अली :

1. मु0अ0सं0 664/2022, धारा 379/411/420 भा0द0वि0, थाना कैंट, जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 742/2022, धारा 402 भा0द0वि0, थाना कैंट, जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 212/2022, धारा 379/411 भा0द0वि0, थाना फरेन्दा, जनपद महाराजगंज।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रफीक पुत्र नत्थूद्दीन :

1. मु0अ0सं0 16/2024, धारा 379/420 भा0द0वि0, थाना कोतवाली फर्रूखाबाद, जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 40/2024, धारा 379/411/420 भा0द0वि0, थाना बिधूना, जनपद औरैया।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त अकरम अली पुत्र जाफर अली से माल बरामदगी का विवरण :

1. एक अदद तमंचा 315 बोर।
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर (तमंचे की नाल में फंसा हुआ)।
3. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
4. एक अदद मोबाइल फोन (वीवो कम्पनी),

अभियुक्त रफीक पुत्र नत्थूद्दीन से माल बरामदगी का विवरण :

1. एक अदद तमंचा 315 बोर।
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
4. नकद ₹10,000/-।

5. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना (इंजन नं0 PFXPSE07017, चैसिस नं0 MD2A76AX9SPE27313), जिसे धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तगण अकरम अली एवं रफीक ने बताया कि वे अपने साथी अनवर अली पुत्र लियाकत अली निवासी ठंडा नाला गूलरभोज, थाना गदरपुर, जनपद उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड के साथ मिलकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दिनांक 24.05.2026 को तीनों व्यक्ति उक्त मोटरसाइकिल से देवा, जनपद बाराबंकी गए थे तथा वापस आने के उपरांत शाहजहाँपुर आकर स्टेशन के पास स्थित होटल में रुककर क्षेत्र की रेकी की थी। दिनांक 25.05.2026 को सुबह तीनों व्यक्ति सदर बाजार क्षेत्र में घूमते हुए अवसर की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान बाबा विश्वनाथ मंदिर की ओर से एक वृद्ध महिला अकेले आती दिखाई दी, जिसके गले में सोने की चैन एवं मंगलसूत्र था। योजना के अनुसार एक साथी द्वारा निगरानी की गई तथा अवसर देखकर महिला का पीछा किया गया। महिला के अपने घर की ओर जाने वाली गली में पहुँचने पर अभियुक्तों द्वारा उसके गले से चैन एवं मंगलसूत्र छीनने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर धक्का-मुक्की हुई, जिससे महिला गिर गई तथा अभियुक्त चैन एवं मंगलसूत्र लेकर मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए। कुछ दूरी पर मौजूद उनका साथी भी बाद में उनके साथ चला गया। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि लूटी गई चैन एवं मंगलसूत्र को लिफाकत पुत्र नत्थूद्दीन एवं गुड्डू उर्फ मोहम्मद हसन पुत्र निहाल शाह निवासीगण ठंडा नाला गूलरभोज, थाना गदरपुर, जनपद उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड को बिक्री हेतु दिया गया था। बिक्री से प्राप्त धनराशि में से अभियुक्त अकरम अली को ₹15,000/-, अभियुक्त रफीक को ₹15,000/- तथा उनके साथी अनवर अली को ₹15,000/- दिए गए, जबकि शेष धनराशि लिफाकत एवं गुड्डू द्वारा अपने पास रख ली गई। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद ₹21,000/- के संबंध में बताया गया कि उक्त धनराशि उनके हिस्से में प्राप्त रकम में से बची हुई है तथा शेष धनराशि खर्च की जा चुकी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
2. एसओजी/सर्विलांस प्रभारी श्री मनोज कुमार मय टीम, जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 श्री अक्षय पंवार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
4. उ0नि0 श्री प्रियव्रत्त दूहूण, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
5. उ0नि0 श्री लक्ष्मण चन्द, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
6. उ0नि0 श्री ललित शर्मा, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
7. हे0का0 269 मनोज कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
8. का0 1767 बिट्टू कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
9. का0 2282 अंकुर मलिक, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
10. का0 अनुज कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
11. का0 2686 मनीष कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।